



Government Naveen College Bhairamgarh District Bijapur (C.G.)





(Handwritten Signature)
 PRINCIPAL
 Govt. Naveen College, Bhairamgarh,
 Distt.-Bijapur (C.G.)

Internal Compliant Committee के और Women Cell का गठन

आज दिनांक 16-09-2019 को महाविद्यालय में आन्तरिक शिकायत समिती के और महिला प्रकाश के गठन के निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कि गई

अध्यक्ष - डा. अरुण कुमार दिशीत
सदस्य - शारदा नेताम, संगीता वावाला
भागेश्वरी सिन्हा

अध्यक्ष - डा. अरुण कु. दिशीत
सदस्य - 1) शारदा नेताम - अध्यक्ष
2) संगीता वावाला - अध्यक्ष
3) भागेश्वरी सिन्हा - अध्यक्ष

अध्यक्ष
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय भैरमगढ़
जिला बीजापुर (छ.प्र.)

४
वैठक

आज दिनांक - 16-09-2019 को आन्तरिक शिकायत
समिति एवं महिला प्रकोष्ठ की वैठक हुई, जिसमें
शिकायत एवं समाधान पर चर्चा हुई। महिलाओं
पर होने वाले अत्याचार के प्रमुख कारण,
महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ
होना है। इस बिन्दु पर केंद्रित करने हुए
महिलाओं में अधिकारों के प्रति विशेष प्रसार
पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तथा कक्षाओं
के माध्यम से इससे सम्बन्धित जानकारी
प्रजाओं तक पहुंचाने का निर्णय किया गया
है।

अध्यक्ष - डॉ. अरुण कुमार दिक्षीत
सदस्य - संगीता कुमारी - Gauel
- शारदा नूतन - Sharda
- भागेश्वरी सिन्हा - Bhish

प्रचारिका
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय मेरसगढ
जिला - बीजापुर (उ.प्र.)

4

शिक्षण के माध्यम	शिक्षण का विवरण	शिक्षक संख्या	कार्यवाही का विवरण	शिक्षक संख्या
------------------	-----------------	---------------	--------------------	---------------

2019-20
 शिक्षण के माध्यम
 के माध्यम
 के माध्यम

3/10/19
 प्राचार्य
 राष्ट्रीय महाविद्यालय रोहतास
 जिला बंगाल (उ.प्र.)



जैठ

आज दिनांक 19/11/2020 महिला विधायक विचारण हेतु जैठ बुलाई गयी, जिसमें महिलाओं पर होने वाले अपराध एवं अत्याचार के विषय में चर्चा की गई। तथा विशेष रूप से महिलाओं एवं छात्राओं के उनके अधिगरो के प्रति जागरूक करने पर विचार किया गया।

संयोजक - डॉ. नीनाराय *Naras*
सदस्य - श्री हनुम गुप्ता *Hanuman*
सदस्य - संगीता जाबली *Sangita*
सदस्य - शारदा नेताम *Shardha*
सदस्य - भागेश्वरी सिन्हा - *Bharghavi*

भा.सि.
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय भोसपाड़
जिला बीजापुर (छ.ग.)

आज दिनांक ११/०३/२०२१ महाविद्यालय में ऑनलाइन शिकायत समिति और महिला पब्लिक डी लैड बुलाई गयी। इस बैठक में महिलाओं के कानूनी अधिकार, लैंगिक पोषण क्षतिपूर्ति योजना, आदि के बारे में छात्राओं के जागड़ुठ किया गया करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में संस्था में कार्यरत महिलाओं द्वारा कोई भी ऑनलाइन शिकायत समिति के समक्ष नहीं किया गया।

संयोजक - डॉ. नीनाराय *Neeray*
सदस्य - श्री धवल गुप्ता *Dhawal*
सदस्य - अंगीता जावली *Angita*
सदस्य - शारदा नेताम *Sharda*
सदस्य - भागेश्वरी सिन्हा *Bhaskari*

अंगीता
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़
जिला - बीजापुर (छ.ग.)

एक दिवसीय कार्यशाला

12/07/21

जेंडर संवेदनशीलता में शिक्षा की भूमिका

आयोजक - IGAC Cell Govt. College Bhairamgarh

1. शारदा नेताम - Bharda
2. Sangeeta Bawali - Bawali
3. Bhupeshwarin Sinhu - Bsinhu
4. Khosin mokram - KM

प्रतिभागी

- | | | |
|--------------------|-------------------|----------|
| ① कश्मिष्मा पवार | <u>Qumar</u> | B.A.I |
| ② श्रजा उजापति | | B.A.I |
| ③ रिता वेजाम | <u>Rita</u> | B.A.I |
| ④ शीतल यादव | <u>Sheetal</u> | B.A.II |
| ⑤ शीता यादव | <u>Reeta</u> | B.A.II |
| ⑥ सुगन्धी यादव | <u>Sugandi</u> | B.A.II |
| ⑦ ममता मरजाम | <u>Mamta</u> | B.A.II |
| ⑧ सावित्री यादव | <u>Savitri</u> | B.A.II |
| ⑨ विनेश्वरी देवागन | <u>Vinayagani</u> | B.Sc.III |
| ⑩ रोहणी रोकडे | <u>Rohani</u> | B.Sc.III |
| (11) | | |
| (12) पुनम हाती | <u>Punam</u> | B.Sc.I |
| (13) प्रियंका गौर | <u>Priyanka</u> | B.Sc.I |
| (14) अंकिता कर्मा | <u>Ankita</u> | B.A.III |

अ. म. सि.

जेन्डर संवेदनशीलता में शिक्षा की भूमिका

महाविद्यालय में "जेन्डर संवेदनशीलता में शिक्षा की भूमिका" विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 12/11/2023 को किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के अतिथि प्राध्यापक, आर.ए. नेताम, संगीता बत्ताली, एंजेलिन मरकाम, डी.मार्ति ब्राह्मेश्वरी सिन्हा मैडम द्वारा आयोजित किया जिसमें प्रभारी आयोजक भी उपस्थित थे और छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थित थी।

छात्रों को बताया गया कि भारत एवं अन्य देशों में भी जेन्डर संबंधी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है, अशिक्षा, सामाजिक ऊर्ध्ववादी सोच, धर्म, कन्या भ्रमण इत्यादि महिलाओं के साथ दुर्व्यहार आदि रूप हैं। समाज एवं देश के विकास में जेन्डर असमानता को समाप्त किया जाना आवश्यक है, जिससे स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो सके।

महिलाओं में जेन्डर असमानता के लिए स्थितियों में शिक्षा को आवश्यक माना गया है। शिक्षा से युवतियों में स्वशास्त्रीकरण की भावना पैदा होती है। जेन्डर संवेदीकरण में शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा से लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। एक पुरुष की सपेक्षा नारी को शिक्षित करना ज्यादा आवश्यक है। माना जाता है कि एक पुरुष को शिक्षित करने से केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि एक नारी को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। जेन्डर संवेदीकरण में शिक्षक शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी तलों जैसे विद्यालय शिक्षकों पाठ्यक्रम,

पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा कक्षा सभी का योगदान है
 पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियां, शिक्षण सामग्री से
 किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा जेण्डर
 स्टिरेटाइपिंग से मुक्त हो। शिक्षा से ही जेण्डर
 समानता होगा और समाज, देश राष्ट्र का विकास
 होगा और एक उभरे लोकतंत्र, नागरिक का
 निर्माण होगा।

प्र. 1 (क)

प्राचार्य
 शासकीय महाविद्यालय पैरगढ़
 जिला-बीजापुर (छ.ग.)



15/07/2021

" महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम "

आयोजक IQAC cell Govt. college Bharungod

1. Sharda Netam Bhushali
2. Sangeeta Bawali Bawali
3. Khari Morkam Kori
4. Bhyeshwari Sitalu Prinky
5. Anandhrai mallick (LCPO) Anandhrai
6. Raju Ram Ramesh

- 1 Sheetal Jataw B.sc (II year)
Sheetal
- 2) Ankisha Phorui — II —
Ankisha
- 3) Manju Mishra — II —
Manju
- 4) Sakshree Rokde — II —
Sakshree
- 15) Manishu Kashnap Manishu
- 16) Sukhbatee Samrat — II —
Samrat
- 17) Chandrika Thakur B.A. II year
Chandrika
- 18) Ankita Karma B.A. III year
Ankita
- 19) Deepika gupta B.A. III year
Gupta
- 20) 10 URVASHI NETAM B.Sc. II year
Urvasi
- 21) 11 MAMTA KUPAL B.A. III year
Mamta
- 22) 12 Savitree B.Sc. II year
Savitree
- 23) Pooja B.A. I year
Pooja
- 24) Kasthima B.A. I year
Kasthima
- 25) Geeta Lekal B.A. I year
Geeta
- 26) Seema Benjam B.A. I year
Seema

3/5/21
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय धरमगढ़
जिला - बीजापुर (छ.प्र.)

महिला सशक्तीकरण कानून

महाविद्यालय में 'महिला सशक्तीकरण कानून' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 15/11/20 को किया गया जिसमें महाविद्यालय में राज्य विशेष आतिथि 'महिला एवं बाल विकास विभाग' से मैडम सानन्दमयी गोलिक एवं सचिव राम सर उपस्थित थीं साथ ही आतिथि प्राध्यापक मैडम शारदा नेताम, खोरिग मन्काम, श्री मति शारदेश्वरी सिन्हा एवं छात्राएं भी उपस्थित थीं।


गोलिक मैडम द्वारा बताया गया की महिला सशक्तीकरण वह है जिसमें हर महिला को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक (शैक्षणिक) सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान, घर परिवार, समाज व देश एवं राष्ट्र के विकास में ठापनी भूमिका निभा सके। महिला को अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं लेने का अधिकार हो वही महिला सशक्तीकरण है। जिससे वे परिवार और समाज में स्वतन्त्रता बना कर रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तीकरण है।

महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा को रोकने के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार में नए महिला कानून अधिनियम भी पारित किया गया है। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001) जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में प्रतिपादित है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

महिलाओं के लिए धरेलू हिंसा अधिनियम (2005) पारित किया गया, दहेज निषेध अधिनियम (1961) हिंदू विवाह अधिनियम (1955) पारित किया गया है। अधिनियम एवं कानूनों के पारित होने से साथ महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच पायी है लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत अभी दयनीय बनी हुई है। इसलिए महिलाओं को समाज में और भी संशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कानून बनाने वाले हैं।

केशी शर्मा
 प्राचार्य
 शासकीय महाविद्यालय, चैरागाढ़
 जिला - बीजापुर (छ.ग.)





" मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंध "

आयोजक - I@AC cell Govt. college Bhairamgarh

Sharda Mehan

Sheekh

प्रस्तावित कार्यक्रम Resource Person के न आने के कारण
नहीं हो पाया।

उ.स.शि.
प्रचार्य
राजकीय महाविद्यालय वैरमगढ़
जिला - बीजापुर (छ.ग.)